Payment of D.A. to Central Government Employees

3626. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:
SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Starred Question 29 given in the Rajya Sabha on the 23rd February, 1989 and state:

(a) whether Government have since taken any decision regarding the grant of DA to the Central Government employees w.e.f. 1st January, 1989;

(b) what is the percentage of increase in DA due to the Central Government employees in pursuance of the recommendations of the Fourth Pay Commission; and

(c) by when the orders to this effect are likely to be issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) No, Sir.

(b) On the basis of the recommendations of the Fourth Pay Commission, the percentage increase in D.A. due with effect from 1.1.89 to Central Government employees will be 6 percent for those drawing basic pay upto Rs. 3500/-, 5 per cent for those drawing basic pay over Rs. 3500/- but upto Rs. 6000/- and 4 per cent for those drawing basic pay over Rs. 6000/-.

(c) The matter is still under consideration.

"सेंटर-बोडोज हैल्ड सीक्रेट टाक्स" शीर्षक के अंतर्गत समाचार

3627. **श्री राम जेठमलानी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1989 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "सेंटर बोडोज हैल्ड सीक्रेट टाक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोडो आन्दोलनकारियों के साथ कोई गुप्त बातचीत हुई थी;

(ग) यदि हां, तो बातचीत के मुख्य मुद्दे क्या थे और उसमें असम सरकार के प्रतिनिधियों के शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि इस प्रकार की बातचीत नहीं हुई तो सरकार द्वारा इस प्रकार के समाचारों का खण्डन न किए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) उक्त (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) संसद में और अन्य मंचों पर बार-बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि केन्द्र सरकार असम के विभाजन के पक्ष में नहीं है।

जोधपुर जेल से रिहा किए गए बंदियों का पुनर्वास

3628. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब प्रशासन ने इस आशय का आश्वासन दिया है कि पिछले वर्ष और हाल ही में जोधपुर जेल से रिहा किए गए निर्दोष व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए यथा संभव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन निर्दोष बंदियों के पुनर्वास के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक समयबद्ध योजना बनाने का विचार रखती है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?